

यह फार्म मुफ्त मिलता है।

सेवा में,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
हिसार।

कार्यालय प्रयोग हेतु
दावा क्रमांक दिनांक

क्रमांक

दिनांक

विषय : - राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अर्न्तगत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे मृतक के परिवार को सहायता / अनुदान प्रदान करवाने हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदय,

सविनय प्रार्थना है कि श्री/श्रीमती की प्राकृतिक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है तथा मैं/हम उसके आश्रित है और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अर्न्तगत अनुदान / सहायता प्रदान करवाने बारे आवेदन करती हूँ / करते हैं। मृतक की मृत्यु बारे पूर्ण विवरण व अन्य जानकारी निम्न प्रकार से है:-

1. मृतक का विवरण :-

- ☞ नाम पिता/पति का नाम.....
☞ आयु पुरुष/स्त्री.....
☞ जाति..... व्यवसाय
- ☞ पूरा पता फोन न0 सहित
- ☞ क्या मृतक परिवार का मुख्य जीवकोपार्जक था ? हां/नहीं

2. मृत्यु की तिथि :- (सक्षम प्राधिकारी से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र साथ सलंगन करें)

3. मृत्यु का स्थान :-

4. पुलिस स्टेशन/खण्ड विकास/ग्राम पंचायत का नाम व पूरा पता जहां मृत्यु के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक (प्रति सलंगन)

5. मृत्यु की तिथि को परिवार का बी0पी0एल0 सूची में क्रमांक संख्या

6. पोस्ट मार्टम किया गया अथवा नहीं। यदि हां तो प्रति सलंगन है / नहीं।

7. मृतक के परिवार के आश्रितों का विवरण:-

	<u>नाम</u>	<u>आयु</u>	<u>मृतक से सम्बन्ध</u>
क.
ख.
ग.
घ.

मैं/हम घोषणा करती/करते है कि मृत्यु के सम्बन्ध में दी गई जानकारी उक्त वर्णन के अनुसार सही है और मैं/हम ही मृतक के उत्तराधिकारी है।

सहधन्यवाद।

सत्यापित

सरपंच/नम्बरदार/नगर पार्षद

आवेदक के हस्ताक्षर / अगुंठा

प्रमाणित किया जाता है कि मृतक..... पुत्र/पति/पत्नी.....
गांव/वार्ड न0..... डाकखाना त0 जि0 हिसार का स्थाई
निवासी था, इसकी दिनांक को (स्थान).....(मृत्यु का कारण) मृत्यु हो चुकी है। मृतक
की आयुवर्ष थी ओर इसका नाम गरीबी रेखा की सूची में क्रम संख्यापर दर्ज हैं। जांच के
उपरान्त उक्त मृतक का **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना** के अर्न्तगत सहायता/अनुदान पाने का पात्र बनता है अर्थात् मृतक के
परिवार को राशि प्रदान करवाने बारे सिफारिश की जाती है।

अन्वेषक
जिला समाज कल्याण अधिकारी
हिसार।

गांववार रजिस्टर तथा अन्य रिकार्ड चैक कर लिया गया है। इस केस में इससे पूर्व अदायगी नहीं हुई।

अनुभाग अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
हिसार।

श्री/श्रीमती..... पुत्र/पति/पत्नी
स्थायी पता को राशि रू0 की सहायता को स्वीकृत किया
जाता हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
हिसार।

सलंगन दस्तावेज :-

1. राशन कार्ड फोटो प्रति
2. मृत्यु प्रमाण पत्र फोटो प्रति
3. दोनो के पहचान पत्र फोटो प्रति
4. लाभपात्र के दो पासपोर्ट साईज फोटो
5. शपथ पत्र तहसीलदार से
6. बी0पी0एल0 सूची फोटो प्रति